

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी—दिव्यराज सिंह चुण्डावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या  
162/2025

दायर दिनांक  
26.03.2025

निर्णय दिनांक  
02/04/2025  
02/04/25

1. श्री देबू उर्फ देबीलाल पुत्र ज्वारा उर्फ जगनाथ कुमावत, निवासी सालमपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा।
2. मुली देवी पुत्री रामा कुमावत, निवासी सालमपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा।
3. शंकरी देवी पुत्री रामा कुमावत, निवासी सालमपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा।
4. दल्ला पुत्र जगनाथ कुमावत, निवासी सालमपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा।
5. प्रेम पुत्र भूरा कुमावत, निवासी सालमपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा।
6. भगवान पुत्र भूरा कुमावत, निवासी सालमपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा।
7. भागु पुत्र ज्वारा कुमावत, निवासी सालमपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा।
8. रूकमा पुत्री भूरा कुमावत, निवासी सालमपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा।
9. सायरी पुत्री भूरा कुमावत, निवासी सालमपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा।

— प्रार्थीगण

बनाम

1. कालू सिंह पुत्र तेज सिंह राजपूत निवासी सालमपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा।
2. शंकर सिंह पुत्र तेज सिंह राजपूत, निवासी सालमपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा।
3. जगदीश पुत्री नाथु जाट निवासी सालमपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा।
4. नारायण पुत्र नाथु जाट, निवासी सालमपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा।
5. भैरू पुत्र नाथु जाट निवासी सालमपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा।
6. लहरू पुत्र नाथु जाट, निवासी सालमपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा।
7. मांगीलाल पुत्र प्यारचन्द विश्नोई, निवासी बापुनगर, भीलवाड़ा।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा (राज)।

— विपक्षीगण

उपस्थित:—अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री नारायणलाल कुमावत उपस्थित।  
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 07 उपस्थित नहीं

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 आर0एल0आर एक्ट :-

—: निर्णय :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने विपक्षीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पुर पटवार हल्का पुर प्रथम, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा की सरहद में प्रार्थीगण की आराजी संख्या 02 रकबा 0.5437 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 66 रकबा 0.3794 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 69 रकबा 0.2908 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 70 रकबा 0.2908 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 71 रकबा 0.3288 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 72 रकबा 0.0632 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 73 रकबा 0.5058 हैक्टेयर कुल किता 07 कुल रकबा 2.4025 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है।

उपखण्ड अधिकारी  
भीलवाड़ा

प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और विपक्षीगण के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजी की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थीगण उक्त वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 से लगायत 07 उपस्थित नहीं। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। मेंने प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश हेतु नियत किया गया।

मेंने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण उक्त आराजियात के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे अपनी आराजियात की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के कम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

अतः तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन (पत्थरगढी) करने का आदेश दिया जाता है कि ग्राम पुर पटवार हल्का पुर प्रथम, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पुर तहसील व जिला भीलवाडा की आराजी संख्या 02 रकबा 0.5437 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 66 रकबा 0.3794 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 69 रकबा 0.2908 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 70 रकबा 0.2908 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 71 रकबा 0.3288 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 72 रकबा 0.0632 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 73 रकबा 0.5058 हेक्टेयर कुल किता 07 कुल रकबा 2.4025 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000-00 अक्षरे एक हजार रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 02/06/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिव्यराज सिंह चुण्डावत)

उपसहायक अभिलेखी

भीलवाडा